



RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

पेपर - III || भाग - I

भारतीय राजनीति



भारतीय राजनीति

1. भारतीय राजव्यवस्था की इतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2. साइमन कमीशन	6
3. भारत शासन अधिनियम 1947	8
4. संविधान सभा	9
5. भारतीय संविधान के स्रोत	14
6. प्रस्तावना	16
7. देश का एकीकरण	20
8. अनुसूचियां	23
9. भारतीय संविधान के भाग	25
10. राज्य के तत्व	26
11. साम्यवाद	30
12. संघ एवं इसका क्षेत्र	32
13. मूल अधिकार	34
14. राज्य के नीति निदेशक तत्व	53
15. मूल कर्तव्य	60
16. संघ सरकार	62
17. राष्ट्रपति	62
18. उपराष्ट्रपति	72
19. प्रधानमंत्री	74
20. महान्यायवादी	76
21. मंत्रीपरिषद्	77
22. संसदीय शासन प्रणाली	81
23. संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था	85
24. संविधान संशोधन	87
25. विधायिका	90

26. उच्चतम न्यायालय	117
27. उच्च न्यायालय	123
28. राज्य विधानमण्डल	128
29. महान्यायवादी	130
30. आपातकालीन उपबंध	131
31. CAG	135
32. केन्द्र राज्य संबंध	137
33. केन्द्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध	140
34. पुंछी आयोग	143
35. वरीयता कम	145
36. राजभाषा	146
37. राज्य की कार्यपालिका	149
38. राज्य की राजनीति	157
39. सचिवालय	161
40. संभाग	165
41. जिला	166
42. उपखण्ड अधिकारी	169
43. तहसीलदार	170
44. पटवारी	171
45. राज्य निर्वाचन आयोग	172
46. RPSC	173
47. UPSC	175
48. NDP	177
49. राज्य सूचना आयोग	179
50. स्थानीय स्वशासन	181
51. नगरीय संस्थाएं	186
52. म्हानगरीय योजना समिति	190

53. राज्य वित्त आयोग	193
54. निर्वाचन आयोग	194
55. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	195
56. राज्य मानवाधिकार आयोग	196
57. CVC	197
58. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम—2013	198
59. राष्ट्रीय अखण्डता	200
60. पूर्वोत्तर में अलगाववाद	203
61. आतंकवाद	206
62. मीडिया	208
63. संगठित अपराध	210
64. भारतीय राजनीति में जाति	211
65. राजनीतिक दल व मतदान व्यवहार	217
66. लैंगिक भेदभाव	221
67. नृजातीयता से संबंधित मुद्दे	227
68. राष्ट्रीय एकीकरण	230

भारतीय राजनीति

भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईर्ष्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने के लिए आये थे इन्हें भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था।

बकरीर के युद्ध (22 अक्टूबर 1764) के बाद प्रथम बार 1765 में कम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।

दीवानी :- दीवानी से तात्पर्य है राजस्व अंग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति।

1773 का ऐम्युलेटिंग एकट

- इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी शाहायता के लिए 4 शहरीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। प्रथम गवर्नर जनरल वार्नर हेस्टिंग्स था।
- बॉर्डे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले अवधि थी।
- इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे।
- कम्पनी शर्वोच्च शता (गवर्नर्स बोर्ड) court of directors को राजस्व नागरिक व लैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया।

उक्त एकट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी कम्पनी के राजनीतिक व प्रशासनिक महत्व को अमज्जा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नीव रखी।

1784 का पिटरी इण्डिया एकट

- इसमें कम्पनी के वाणिडियक एवं राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया।
- इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर (निदेशक मण्डल) को वाणिडियक कार्यों की छूट दी किन्तु राजनीतिक कार्यों के लिए Board of Central बनाया।
- भारत में ऐस्थित कभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिस्थिति के लैन्य एवं नागरिक कार्यों पर मिर्द्दिशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (नियंत्रक मण्डल) को दी।
- प्रथम बार द्वैष्ट शासन लागू किया Board of control व court of directors

1833 का चार्टर एकट

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
 - शारी नागरिक व लैन्य शक्ति उसमें निहित की गई।
 - भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग थे।
- बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई शारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल में निहित थी।
- ईर्ष्ट इण्डिया कम्पनी का अवक्षप बदला यह व्यापारिक कम्पनी नहीं रही बल्कि प्रशासनिक अंशों बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी।

- प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तीयों में आधार बनाने का फ़लपत्र प्रयास किया गयातथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदों के उपयुक्त माना गया।
- इस एकट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की शरकार की अंकत्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा।

1853 A.D. का चार्टर एकट

- इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया 6 नये शद्दय जोड़े गये जिन्हे विधायी पार्षद कहा गया। अर्थात् गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिश शंशद की तरह थी जिसमें वही प्रक्रियाये अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी।
 - शिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की रैवारी थी
 - उच्च Covenanted रैवारे
 - निम्न Unconvenanted
- इस एकट में उच्च शिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एकट के प्रावधानों के तहत भारतीय शिविल रैवारे के लिए 1854 में मैकाले शमिति गठित की गई।
- यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित शमयावधि नहीं दी गई।

1858 का भारत शासन अधिनियम

- प्रथम इवंतंत्रता आनंदोलन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन शमाप्त किया गया तथा शारी रहा ब्रिटिश राजमुकुट (क्राउन) के अन्तर्गत आ गई इस अधिनियम को Act For The Good Government Of India (भारत की अच्छी शरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम) कहते हैं।
- भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा।
 - भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
 - वह भारत में ब्रिटिश राजमुकुट का रीढ़ा प्रतिनिधि था।
 - प्रथम वायसराय लार्ड कैमिंग था।
 - Board Of Control तथा Court of Director शमाप्त का द्वैष शासन शमाप्त कर दिया गया।
 - एक नये पद भारत का शड्य शयिव (Secretary of state for india) का शुरू किया गया।
 - शम्पूर्ण शास्त्र एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के शड्य शयिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक शद्दय होता था।
 - भारत शयिव की शहायता के लिए 15 शद्दयीय शलाहकार शमिति बनाई गई। इसमें कुछ शद्दय राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से था। 15 शद्दयीय शमिति का अध्यक्ष भारत शयिव था।
 - यह शमिति एक नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इंग्लैण्ड में मुकदमे में एक पक्ष बनाने का अधिकार था अर्थात् यह किसी पर मुकदमा कर भी शक्ती थी तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था इनका ऑफिस ब्रिटेन में ही था।

कमी:-

- यह केवल एकात्मक ही नहीं अपितु पूर्ण एकात्मक शासन था शम्पूर्ण क्षेत्र का विभाजन प्रान्तों में किया गया था जिसका मुखिया G.G. था उसकी अपनी एकिजक्यूटिव कार्यालय थी किन्तु सभी

भारत शरकार के झर्डेन्ट प्रतिनिधि मात्र थे तथा शारे कार्य वायरशरय एवं गवर्नर जनरल के आदेशानुसार किये जाते थे।

2. विद्यायिक कार्यपालिका शरकारी नागरिक या सैन्य पर कोई विभाजन नहीं था।
3. जनता की शय का किसी शरण पर कोई महत्व नहीं था।

1861 का भारत परिषद अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शरकार को शासन में भारतीयों का शहरोग आवश्यक लगा झतः उक्त अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गये।

1. वायरशरय की विस्तारित (विद्यान परिषद) परिषद में गैर शरकारी शदर्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन अम्भव हुआ। 1862 में प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों - बनास के शजा, पटियाला के शजा, दिनकर शव को नामांकित किया।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विद्यायी शक्तियां वापस मिली झर्थात विकेन्द्रीकरण की दुबार शुरूआत हुई।
3. इसके माध्यम से बंगाल, उत्तर पश्चिम शीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1861, 1886, 1897 में विद्यान परिषदों का गठन हुआ।
4. इसमें वायरशरय को परिषद में कार्य शंखालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की श्वतंत्रता दी 1859 में लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली (मंत्रालय) को मान्यता दी झर्थात वायरशरय की परिषद का कोई शदर्य एक या अधिक शरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा शकता था तथा उसे परिषद की ओर से अनितम आदेश पारित करने का अधिकार था।
5. इसमें आपात काल में वायरशरय को विद्यायी परिषद की शलाह के बिना अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी।

कमियाँ:-

1. ये प्रतिनिध्यात्मक नहीं थी।
2. मात्र वायरशरय के द्वारा इखे गये प्रस्ताव पर चर्चा का अधिकार था।
3. वायरशरय की इच्छा से ही बिल प्रस्तुत किया जा शकता था।
4. विदेयक के पास होने पर भी वायरशरय को वीटो का अधिकार था तथा शजमुकुट के विचारार्थ इखने का भी अधिकार था।
5. अध्यादेश का अत्यन्त व्यापक अधिकार दिया गया था।

1892 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विद्यानपरिषदों में अतिरिक्त गैर शरकारी शदर्यों की शंख्या बढ़ाई गई किन्तु बहुमत शरकारी शदर्यों का था।
 - इसमें विद्यानपरिषदों के कार्यों में वृद्धि की ओरों बजट पर चर्चा का अधिकार कार्य पालिका से प्रस्तुत प्रूछने का अधिकार।
 - इसके माध्यम से भारतीय विद्यानपरिषद के गैर शरकारी शदर्यों का मनोनयन प्रान्तीय विद्यान परिषद तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से तथा प्रान्तीय विद्यान परिषदों के गैर शरकारी शदर्यों का मनोनयन विश्वविद्यालय डिला बोर्ड व्यापार शंघ नगरपालिका तथा जमीदारी के द्वारा किया जाना था अनितम निर्णय केन्द्र में वायरशरय, प्रांत में गवर्नर का होता था।
- यद्यपि उक्त अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विद्यानपरिषदों में गैर शरकारी शदर्यों के लिए एक शमिति एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया।

1909 का भारत शासन अधिनियम

- इसे मार्ले-मिन्टो शुद्धार कहते हैं।
- लॉर्ड मार्ले भारत शाचिव था तथा मिन्टो भारत का वायरेसर था।

विशेषता :-

- इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई (60) शाड़ियों/प्रांतों में संख्या औलग औलग थी।
- केन्द्रीय विधानपरिषदों में सरकारी बहुमत इत्था गया किन्तु प्रान्तों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई।
- विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारी में दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई तौरें:- पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रत्याव प्रत्युत करना आदि।
- प्रथम बार भारतीयों को वायरेसर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने की अनुमति मिली
- सत्येन्द्र प्रसाद रिठा प्रथम भारतीय थे जिन्हे वायरेसर की कार्यकारी परिषद में विधी सदस्य बनाया गया।
- मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का शिक्षान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचिक दल separate electorate की बात की गई।

कमियां :-

- साम्प्रदायिक विभाजन क्षेत्र
- लगभग सभी अन्तिम निर्णय अनुत्तरदायी कार्यकारी (वायरेसर गवर्नर) के अधिकार क्षेत्र में थे।
- राष्ट्रवादियों की संसदीय शासन वाली उत्तरदायी सरकारी बनाने में असफल।

1919 का भारत शासन अधिनियम

- 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उत्तरांश भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा।
- इसी आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेन्यू-चेम्सफोर्ड शुद्धार भी कहते हैं।
- मॉन्टेन्यू भारत शाचिव था तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायरेसर था (मोठ फोर्ड एक्ट)

विशेषता :-

- केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की औलग औलग शूयी बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ यद्यपि शाड़ियों का अपनी शूयी पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है।
- प्रान्तीय विषयों को दो भागों में बांटा गया :- आरक्षित और हस्तान्तरित
 - हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन करेगा
 - आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से बिना विधायी परिषद के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात् यह एक छेद शासन था
 - विधायिका में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था

3. इस अधिकारी में पहली बार द्वितीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार भारतीय विद्यानपरिषद के दो शब्दन थे-
 - लेजिस्लै अरेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राजसभा)
 - दोनों शब्दों के बहुसंख्यक शब्दस्य शीघ्रे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया।
4. शिक्षा करने और शम्पति के आधार पर मताधिकार दिया गया
5. वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 शब्दस्य में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर तीन शब्दस्य का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें मुरिलमो के अतिरिक्त शिक्षण भारतीय, ईशार्ड एवं इण्डियन व यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया।
6. लन्डन में भारतीय उच्चायुक्त का पद भूमित किया तथा भारत शायिव के कुछ और कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया।
7. एक लोकटोवा आयोग का प्रावधान किया गया। उच्च नागरिक टोवाओं के लिए गठित “ली आयोग” की शिफारिशों के आधार पर 1926 में शिविल टोवकों की भर्ती हेतु एक “केन्द्रीय लोक टोवा आयोग” का गठन किया गया।
8. केन्द्रीय बजट को शब्दों के बजट से छलग किया गया तथा शब्द विद्यानसभाओं को अपना बजट एवं बनाने के अधिकार दिये गये।
9. इसके अन्तर्गत एक वैद्यानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का छँट्ययन करेगा।

कमियाँ :-

1. कोई भी प्रान्तीय दल गवर्नर की श्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए शोका जा सकता था
2. यद्यपि प्रान्तों को अपने विजयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह अंदात्मक शक्ति वितरण नहीं था क्योंकि यह शक्ति केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी। केन्द्रीय विद्यानपरिषद भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी
3. केन्द्र में उत्तरदायी शरकार की स्थापना नहीं थी वायसराय भारत शायिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के अधीन था।
4. किसी भी विषय के केन्द्रीय अधिकार होने के अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था।
5. अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नहीं की जा सकती थी।
6. वित एक आरक्षित विषय था जो कार्यकारी परिषद के शब्दस्य के अधीन था अतः इन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता था।
7. ICS के अभी शब्दस्य जिनके माध्यम से मंत्रियों को अपनी नीतियाँ क्रियान्वित करनी थी वे भारत शायिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथा मंत्रियों के स्थान पर भारत शायिव के लिए उत्तरदायी थे।

1920 A.D. ने मद्रास में शबरी पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया।

शाइमन कमीशन

- नवम्बर 1927 में 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने जॉन शाइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैद्यानिक रिथाति को जानने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया जिसे भारतीय वैद्यानिक आयोग भी कहते हैं।
- आयोग के अभी सदस्य ब्रिटिश थे अतः अभी पाटियों ने इसका विरोध किया।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश सरकार को जौपी जिसमें निम्न रिफारिंग्स थीं
 1. द्वैष्ठ शासन का अन्त
 2. प्रान्तों में अधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना
 3. ब्रिटिश भारत तथा देशी रिशायतों के संघ की स्थापना
 4. शाम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए।
- शाइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज (round table) शम्मेलन किये गये (1930, 1931, 1932)
- इनमें ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत व भारतीय रिशायतों के प्रतिनिधि समिलित हुए जिसमें कोई सहमति नहीं बन पाई
- उक्त चर्चाओं के आधार पर संवैद्यानिक सुझावों पर एक श्वेत पत्र बनाया गया जिसे ब्रिटिश संसद भेजा गया।
- कुछ संशोधनों के साथ इस समिति की रिफारिंग्स को भारत शासन अद्धि. 1935 में शामिल किया गया शाइमन कमीशन के 7 सदस्यीय आयोग में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे।

शाम्प्रदायिक अवार्ड :- अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडीनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे शाम्प्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मुस्लिमों, शिक्खों, भारतीय ईशार्यों, एवं इण्डियन व यूरोपीयन के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा गया तथा दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई।

भारत शासन अधिनियम 1935

- इसमें एक अधिकल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसमें प्रान्तों और रिशायतों को समिलित किया तीन शूचियां बनाई गईं
 - (a). केन्द्रीय शूची 59 विषय
 - (b). प्रांतीय शूची 54 विषय
 - (c). समवर्ती शूची 36 विषय अवशिष्ट शक्तिया वायसराय को दी गई।

यह संघीय व्यवस्था कभी अरितत्व में नहीं आई क्योंकि देशी रिशायतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया।
- प्रान्तों में द्वैष्ठ शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्ता प्राप्त हुई शज्य शूची के विषयों में स्वतंत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विद्यायिका के लिए जवाबदेह थे।
- संघीय स्तर पर द्वैष्ठ शासन प्राप्त हुआ।
 - संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित में विभक्त किया गया।
 - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदी जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियों के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद के लिए उत्तरदायी थे।

- इसमें 11 मे से 6 प्रान्तो मे द्विसंघनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की
 - बंगाल, बांग्ला, मद्रासा, आसाम, बिहार, शंयुक्त प्रान्त
 - उच्च शब्द को विद्यानपरिषद (लेजिस्लेटिव कार्डिनल) कहा व मिन्न शब्द को विद्यानशभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
- शास्त्रधार्यिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया । दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये
- 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा १८०५ के शासन पर शासन का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
- मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया
- शंघीय लोक ईवा आयोग का प्रावधान किया गया था ही शंयुक्त लोक ईवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक ईवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
- भारत की मुद्रा व शाख नियंत्रण के लिए RBI का प्रावधान किया गया ।
- शंघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव २५ जून 1937 मे गठित हुआ
 - इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा शंविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंबद्वन मे प्रिवी कार्डिनल मे की जा सकती है
 - महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

कमियाँ व विशेषताएँ:-

1. पूर्व के शभी अधिनियमो मे भारत शरकार एकात्मक थी इसके माध्यम से एक शंघ का प्रस्ताव किया गया था जिससे शम्मिलित होने का दियारतो को ऐच्छा से अधिकार दिया गया था ।
2. केन्द्रीय शर्त पर शंघ नहीं बन पाया किन्तु प्रान्तीय व्यायामा के तहत 1937 से शासन प्रारम्भ हुआ
 - गवर्नर द्वारा प्रान्तीय कार्यकारी दायित्वों का निर्वहन मुकुट के प्रतिनिधि के रूप मे करना प्रारम्भ न कि गवर्नर जनरल के अधीनस्थ के रूप मे
 - गवर्नर द्वारा मंत्रियो की शलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था जो कि विद्यायिका के लिए उत्तरदायी थे किन्तु गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके लिए उसे मंत्रियो की शलाह के स्थान पर वायरलराय के माध्यम से भारत शयिव की ओर से कार्य करना था ।
3. गवर्नर जनरल द्वारा शुरूका विदेश शंबंध आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन तथा चर्चा शंबंधी विषयों को अपने द्वारा नियुक्त शलाहाकारों के माध्यम से देखा जाना था जबकि अन्य विषयों के लिए मंत्रिपरिषद की शलाह पर कार्य करना था जो कि विद्यायिका के लिए उत्तरदायी थी
 - इन कार्यों के शब्दर्थ मे भी यदि गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्वो का निर्वहन करना है तो मंत्रिपरिषद की शलाह के विरुद्ध भारत शयिव के नियंत्रण एवं निर्देशन से कार्य कर सकता था ।
4. गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति के अतिरिक्त शजमुकुट भी केन्द्रीय विद्यायिका को वीटो कर सकता है
5. गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्वों का हवाला देकर विद्यायिका मे किसी भी चर्चा अथवा बिल को शोक सकता था ।
6. अध्यादेश की शक्ति के साथ गवर्नर जनरल को शब्द के चलते शब्दों की स्थिति मे भी कानून बनाने का अधिकार था
7. गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियो मे कमी करने वाला कोई भी प्रस्ताव उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता था ।
8. प्रान्तों द्वारा पारित किये गये अधिकांश प्रस्तावो को गवर्नर जनरल अथवा शजमुकुट की श्वीकृति के लिए शोका जा सकता था ।
9. यद्यपि देशी रिशायते उक्त प्रस्ताव मे शम्मिल नहीं हुई तथापि केन्द्र शरकार और प्रान्तो के मध्य शंघात्मक प्रावधान कियावित हुए जो कि प्रत्यायोजन नहीं था ।

10. अवशिष्ट शक्तियां न तो केन्द्रीय विधायिका मे निहित थी और न ही प्रांतीय विधायिका मे गवर्नर जनरल दोनों मे से किसी को भी प्राधिकृत कर सकता था। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था।

भारत शासन अधिनियम 1947

- 3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउंट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव इसे “माउंट बेटन योजना” कहते हैं
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यह संकार कर लिया गया

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विशेषताएँ थी :-

1. भारत मे ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र एवं सम्प्रभु, राष्ट्र द्वीपित किया गया
2. इसमे भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी।
3. इसमे वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन केबिनेट की शिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी। ब्रिटेन की संरकार पर भारत या पाकिस्तान की संरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था।
4. इसके माध्यम से दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छागुरुशार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला
5. इसमे दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेगी।
6. 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून दोनों देशों पर तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे
7. ब्रिटेन मे भारत संघीय का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमण्डल संघीय की स्थानान्तरित हो गई।
8. 15 अगस्त 1947 से भारतीय रिकायतो पर ब्रिटिश सम्प्रभुता समाप्त हो गई तथा रिकायतो को भारत अथवा पाकिस्तान मे मिलने अथवा स्वतंत्र होने की आजादी दी गई।
9. ब्रिटिश काल में वीटो का अधिकार तथा स्वयं की अनुमति के लिए ब्रिटिश विदेयक को शेकरे का अधिकार समाप्त हो गया किन्तु कुछ परिस्थितियो मे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया।
10. भारत के गवर्नर जनरल व राज्यो के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप मे स्थापित किया जिनकी शक्तियां यथार्थ न होकर नामात्र की थी इन्हे मंत्री परिषद की शलाह के अनुसार कार्य करना था
11. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ तथा दोनों डोमिनियन देशों को मिली
 - स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन तथा प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई
 - भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी।
 - पाक का G.G. मौहम्मद अली जिन्ना
 - सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना - गणतंत्र
 - सर्वोच्च शक्ति का वंशानुगत होना - राजतंत्र
 - नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना - लोकतंत्र

संविधान शभा

- सर्वप्रथम 1895 ई. मे बाल गंगाधार तिलक ने संविधान शभा की मांग की
- 1921 गांधीजी ने संविधान शभा की मांग की
- 1934 मानवेन्द्र नाथ रौय ने संविधान शभा की मांग की (M.N. रौय)
- 1935 कांग्रेस ने पहली बार अधिकारिक तौर पर संविधान शभा की मांग की
- 1938 कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने शार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान शभा की मांग की
- 1940 अंग्रेज प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान शभा का प्रस्ताव इस्तेवा यद्यपि संविधान शभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया।
- 1942 क्रिएशन निर्वाचित संविधान शभा का प्रस्ताव जो प्रान्तीय विधान मण्डल के निम्न शद्भन के शदर्थ्यों के द्वारा
- 1946 कैबिनेट मिशन की शिफारिशों के आधार पर संविधान शभा का निर्वाचन किया गया इसका निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न शद्भन के शदर्थ्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संकरणीय मत के द्वारा।

कुल शदर्थ्य 389

ब्रिटिश भारत
296 (निर्वाचित)

रियासतें
93 (मनोनीत)

प्रान्ती
292

उच्चायुक्त क्षेत्र
4

1. दिल्ली
2. झजमेर-मेरठाड़ा-मुकुट बिहारी लाल
3. कुर्गा (कर्नाटक)
4. ब्लूचिंगटान

- ब्रुलाई अंग्रेज 1946 को संविधान शभा का निर्वाचन हुआ था
- कांग्रेस के 208 शदर्थ्य निर्वाचित हुए थे
- मुरिलम के लिए 78 टीट आरक्षित की गयी थी उनमें से 73 टीट पर मुरिलम लीग के शदर्थ्य निर्वाचित हुए थे।
- संविधान शभा के चुनावों के लिए बाद मुरिलम लीग ने संविधान शभा का बहिष्कार कर दिया।
- महात्मा गांधी एवं मौहम्मद झली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था।
- कुल 15 महिला शदर्थ्य निर्वाचित हुई थीं।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर शपूर ने संविधान शभा से त्याग पत्र दे दिया था।
- 9 दिसंबर 1946 संविधान शभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्ठतम् शदर्थ्य सचिवदानन्द रिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
- 11 दिसंबर 1946 संविधान शभा की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

- T.T. कृष्णमाचारी को श्री उपाध्यक्षा निर्वाचित किया गया
- B.N. शव को संवैधानिक शलाहाकार नियुक्त किया गया
- शंविधान का पहला प्रारूप B.N. शव ने तैयार किया था जबकि अनितम प्रारूप शमिति ने तैयार किया था।
- 13 दिसंबर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
- 22 जनवरी 1947 को शंविधान शभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ :-

1. सम्प्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना।
 2. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना।
 3. नागरिकों को लामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना।
 4. नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना।
 5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना।
 6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना।
- उद्देश्य प्रस्ताव शंविधान शभा के लिए दिशा निर्देशिका था जिसमें शंविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण शमितियाँ :-

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. शंघीय शंविधान शमिति 2. शंघीय शक्ति शमिति 3. प्रान्तीय शक्ति शमिति 4. प्रान्तीय शंविधान शमिति :- 5. मूल अधिकार, अल्प शंख्यक, अनुशूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए शमिति :-
शंघीय शक्ति शमिति | <div style="text-align: center;">  </div> |
|---|---|
- अध्यक्ष - जवाहरलाल नेहरू
- मूल अधिकार उप शमिति- डॉ. बी. कृपलानी
 - अल्पशंख्यक के लिए उप शमिति- H.C. मुखर्जी
 - अनुशूचित व जनजातीय क्षेत्र उप शमिति- गोपीनाथ बाटोलोड़
 - बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उप शमिति - A.V. ठक्कर


प्रारूप शमिति :-

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
 2. गोपाल श्वामी आयंगर
 3. कृष्ण श्वामी अय्यर
 4. K.M. मुंशी
 5. मौहम्मद शाफुल्लाह
 6. N. माधव शव (B.L. मित्र त्याग पत्र)
 7. T.T. कृष्णमाचारी (D.P. खेतान की मृत्यु)
- इसके बाद प्रारूप शमिति ने 60 देशों के शंविधान का अध्ययन किया और उससे भारतीय शंविधान का प्रारूप तैयार किया।
 - प्रथम पठन 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक किया।
 - द्वितीय पठन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया।

- तृतीय पठन 14 नवम्बर से 26 नवम्बर 1949 तक किया ।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आमार्पित किया गया इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये ।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान शभा की भूमिका :-

- अम्प्रभु शंखा के रूप में स्थापित हुई केबिनेट मिशन की अनुशंशा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता शमाप्त हो गयी ।
- 15 अगस्त 1947 से संविधान शभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया संविधान शभा के शाथ-शाथ विधानमण्डल के रूप में कार्य किया ।
- आजादी के बाद संविधान शभा में 299 सदस्य रह गये थे ।



- 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे ।
- 15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 को लागू किये गये
 - अनु. 5,6,7,8,9 (नागरिकता से सम्बन्ध)
 - अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
 - अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
 - अनु. 366, 367 (निर्वाचन संबंधि शब्दावली)
 - अनु. 379, 380, 388, 391, 392, 393
- | आरम्भ | वर्तमान | |
|----------------------------|---------|--|
| ○ मूल संविधान में आगे 2 थे | - 25 | |
| ○ अनुच्छेद 395 | - 460 | |
| ○ अनुशंशियाँ 8 | - 12 | |

संविधान शभा के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय :-

- 22 जुलाई 1947- राष्ट्रध्वजा को मान्यता दी ।
- मई 1949 “राष्ट्रमण्डल की सदस्यता” को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया
- 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान शभा की अनितम बैठक थी और इसके बाद इन्हें इसको भंग कर दिया गया इसके बाद संविधान शभा विधानमण्डल के रूप में यह कार्य करती रही (1952 तक)

संविधान शभा की आलोचना :-

- संविधान शभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी दियास्तों के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये थे ।
- संविधान शभा के सदस्य प्रान्तीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किये गये थे प्रान्तीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन भी सार्वभौमिक व्यवस्क मतदान के आधार पर नहीं हुआ था इस शमय केवल

10 प्रतिशत लोगों को मताधिकार था और 90 प्रतिशत जनसंख्या का शंखिदान शभा के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष योगदान भी नहीं था।

- उपर्युक्त आलोचना उचित नहीं है क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों में शंखिदान शभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव नहीं था क्योंकि
 1. युनाव के लिए पर्याप्त ढाँचा नहीं था।
 2. शंखाधारों की कमी थी
 3. राजनीतिक शक्तिहाता का वातावरण था।
 4. शाम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी।
 5. लोगों में राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा का अभाव था।
 6. शमयाभाव था।
- उपर्युक्त कारणों से शंखिदान शभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था जहाँ तक रियासतों के शदर्थों के मनोनयन का प्रश्न है उस समय बड़ी युनौती यह थी कि रियासतों का भारत में विलय कैसे किया जाए एवं रियासतों में युनावी ढाँचा उपलब्ध नहीं था।
- शंखिदान शभा सम्प्रभु नहीं थी। शंखिदान शभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की रिफारिशों के आधार पर किया गया था ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत इसका निर्वाचन हुआ था इसलिए इसे सम्प्रभु शंखा नहीं माना जाता लेकिन 15 अगस्त 1947 से शंखिदान शभा एक सम्प्रभु शंखा के रूप में स्थापित हुई एवं कैबिनेट मिशन की रिफारिशों से पूर्णतः सुकृत थी और शंखिदान शभा ने इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था कि वह अपने शभी निर्णय श्वतंत्रता प्रूफक लेगी।
- शंखिदान निर्माण में शंखिदान शभा ने अधिक समय लिया इसमें (2वर्ष 11 माह 18 दिन) का समय लिया जबकि अमेरिका शंखिदान निर्माताओं ने 4 माह में शंखिदान पूरा कर दिया था।
- यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि भारत व अमेरिका की इथितियाँ भिन्न थी भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बहुभाषी व जटिल सामाजिक ढाँचे वाला देश है इसमें अनेक वंचित वर्ग तथा जनजातीय लोग हैं जबकि इनमें राजनीतिक जागरूकता का अभाव था शिक्षा का अभाव था और इन्हें शंखिदान का निर्माण करना था जिसमें शभी के हितों की दृष्टि करके इसके लिए अनेक विशेष प्रावधान किये गये हैं जबकि अमेरिका में इनी युनौतियाँ नहीं थीं।
- अमेरिका शंखिदान में ऐड इण्डियन व ग्रीष्मोज के लिए अलग विशेष प्रावधान नहीं किये गये।
- भारतीय शंखिदान विश्व तंत्र का शबरी बड़ा शंखिदान है क्योंकि इसमें प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया गया है जबकि अमेरिकी शंखिदान अत्यधिक शंक्षिप्त हैं उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं जबकि भारतीय शंखिदान में 395 अनुच्छेद थे।
- भारतीय शंखिदान शंघ के शंखिदान के साथ-साथ शड्यों का शंखिदान भी शामिल है जबकि अमेरिकी शंखिदान में केवल शंघ का शंखिदान ही है और शभी शड्यों के अलग शंखिदान हैं जो कालान्तर में बनाये गये थे।
- शंखिदान शभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था इसलिए शंखिदान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया है।

कांग्रेस ने शास्त्रीय आनंदोलन का नेतृत्व किया था एवं वह शबरी बड़ा राजनीतिक दल था इसका जनाधार अधिक था इसलिए प्रान्तीय विद्यानमण्डलों के युनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी एवं इसी कारण शंखिदान शभा में कांग्रेस के अधिक शदर्थ थे इसके बावजूद शंखिदान शभा में शभी राजनीतिक दलों के विचारों को पर्याप्त महत्व दिया गया यहाँ तक की प्रारूप शमिति के अध्यक्ष डॉ. श्रीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के शदर्थ नहीं थे शंखिदान निर्माण में शर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। प्रारूप शमिति में केवल 2 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे शेष शभी शदर्थ गैर कांग्रेसी थे। (K.M. मुंशी, T.T. कृष्णामाचारी) वैसे भी शंखिदान में किसी भी एक विचारधारा को अधिक महत्व नहीं